

(॰ 022-22862703) ई-मेल/e-mail-<u>irw@dae.gov.in</u> फेक्स/Fax No. - 2204 8476 & 2282 4354



## भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA परमाणु ऊर्जा विभाग

परमाणु ऊजा विभाग DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY औ. सं. एवं क. अनुभाग अणुशक्ति भवन Anushakti Bhavan, छ. शि. म. मार्ग C.S.M. Marg, मुंबई/Mumbai - 400001

**IR&W SECTION** 

सं./No. 7/4/2015/आईआरएंडडब्ल्यू/IR&W/4342

मार्च/March 30, 2016

## कार्यालय ज्ञापन OFFICE MEMORANDUM

विषय : डुप्लीकेट सीएचएसएस कार्ड जारी करने के लिए वसूली प्रभार Sub : Recovery charges for issuing duplicate CHSS cards

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना (सीएचएसएस) के खंड 17.4 के अनुसार, कार्ड के खो जाने (सदस्यता के विछिन्न होने पर कार्ड का सरेंडर न करना भी शामिल है), न मिलने तथा कटने-फटने की हालत में सीएचएसएस कार्डों को पुन: जारी करवाने के लिए प्रभारित की जाने वाली रकम बहुत पहले दिनांक 01/01/2003 के पऊवि की टिप्पणी सं. 7/14/98-सीएचएसएस/ आईआरएंडडब्ल्यू/02 के द्वारा संशोधित की गयी थी।

In term of Clause 17.4 of CHSS, the amount to be charged for re-issue of CHSS cards, in case the card is lost (including non-surrender of the cards on discontinuance of the membership), misplaced and mutilated, was revised long back vide DAE note no. 7/14/98-CHSS/IR&W/02 dated 01/01/2003.

विभाग में इन प्रभारों में संशोधन करने का मामला विचाराधीन रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कर्मचारीगण सीएचएसएस कार्ड के खोने तथा कटने-फटने के प्रति सावधानी बरतें, इन प्रभारों को तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित विवरण के अनुसार संशोधित करने का निर्णय लिया गया है:

The issue of revising these charges has been under consideration of the Department. In order to ensure that the employees exercise appropriate caution against misplacement and mutilation of the CHSS cards, it has been decided to revise the charges with immediate effect as follows:

सं. No.	विवरण Particulars	प्रभार Charges
1.	सीएचएसएस कार्ड का खो जाना (सदस्यता के विछिन्न होने	₹500/-
	पर कार्ड का सरेंडर न करना भी शामिल है) अथवा न मिलना	
	Loss of CHSS card (including non-surrender of cards on discontinuance of membership) or misplacement * आवदेन के साथ दर्ज की गयी पुलिस शिकायत की एक प्रति	
	संलग्न किया जाना है	
	A copy of the police complaint lodged has to be accompanied with the application	

2.	सीएचएसएस कार्ड के जारी होने के 5 वर्षों के अंदर कट-फट	₹300/-
	जाने पर	
	Mutilated CHSS Card, within a period of 5 years of its	
	issue	,
3.	सीएचएसएस कार्ड के जारी होने के 5 वर्षों की अवधि के बाद	₹250/-
	कट-फट जाने पर	
	Mutilated CHSS Card, after a period of 5 years of its	
	issue	

इसे सचिव, पऊवि के अनुमोदन से जारी किया जाता है। This is issued with the approval of Secretary, DAE

के.पी.एस. पिल्लै K.P.S. Pillai)

अवर सचिव(आईआरएंडडब्ल्यू) Under Secretary(IR&W)

## सीएचएसएस का नियंत्रण करने वाले सभी प्राधिकारी/All CHSS Administering Authorities:

- (1) निदेशक, बीएआरसी, मुंबई Director, BARC, Mumbai
- (2) निदेशक, आईजीकार, कलपाक्कम Director, IGCAR, Kalpakkam
- (3) निदेशक, जीएसओ, कलपाक्कम Director, GSO, Kalpakkam
- (4) मुख्य कार्यकारी, भापाबो, मुंबई Chief Executive, HWB, Mumbai
- (5) मुख्य कार्यकारी, एनएफसी, हैदराबाद Chief Executive, NFC, Hyderabad
- (6) स्टेशन निदेशक, आरएपीएस, कोटा Station Director, RAPS, Kota
- (7) स्टेशन निदेशक, टीएपीएस, तारापुर Station Director, TAPS, Tarapur
- (8) निदेशक, एएमडी, हैदराबाद Director, AMD, Hyderabad
- (9) निदेशक, आरआरकेट, इंदौर Director, RRCAT, Indore
- (10) निदेशक, वीईसीसी, कोलकाता Director, VECC, Kolkata
- (11) निदेशक (एचआर), एनपीसीआईएल, मुंबई Director (HR), NPCIL, Mumbai
- (12) प्रमुख, चिकित्सा प्रभाग, बीएआरसी Head, Medical Division, BARC
- (13) मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पऊवि अस्पताल, कलपाक्कम Chief Medical Officer, DAE Hospital, Kalpakkam

## प्रतिलिपि Copy to:

- (1) इकाइयों के सभी प्रमुख All Heads of Units
- (2) इकाइयों के सभी प्रशासनिक प्रमुख All Administrative Heads of Units
- (3) अध्यक्ष, पऊआ तथा सचिव, पऊवि का कार्यालय 0/o chairman, AEC & Secretary, DAE
- (4) अपर सचिव के निजी सचिव, पऊवि PS to AS, DAE
- (5) निदेशक, आईएमएससी Director, I.M.Sc.
- (6) प्रशासनिक अधिकारी-III,बीएआरसी अस्पताल, बीएआरसी AO-III, BARC Hospital, BARC
- (7) सचिव, कर्मचारी पक्ष, विभागीय परिषद Secretary, Staff Side, DC
- (8) महासचिव, एनएफएईई General Secretary, NFAEE